

## बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

दिनांक 26.04.2013 को आयोजित बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की परियोजना  
समाशोधन समिति बैठक की कार्यवाही

### बैठक में उपस्थिति :-

1. श्री दीपक कुमार सिंह  
प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना।
2. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार  
उद्योग विभाग (वित्त विभाग के प्रतिनिधि)।
3. श्री एस. पी. राय, सहायक इंवारमेंट अभियंता  
अध्यक्ष, बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना के प्रतिनिधि।
4. श्री शैलेन्द्र प्रसाद सिंहा  
अध्यक्ष, सीआईआई0, पटना।
5. श्री के. पी. एस. केसरी  
अध्यक्ष, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना।
6. श्री ए. के. पी. सिन्हा  
अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि पटना (विशेष आमंत्रित सदस्य)।
7. श्री भोगेन्द्र लाल  
कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना/भागलपुर।
8. श्री अखिलानंद  
कार्यकारी निदेशक, बियाडा, दरभंगा/मुजफ्फरपुर।

बैठक में सर्वप्रथम वैकल्पिक भूमि आवंटन के मामले तथा घटनोत्तर स्वीकृति के मामलों पर विचार किया गया। तदोपरांत उसी क्षेत्र में कार्यरत इकाईयों के अतिरिक्त भूमि आवंटन के मामले विचारित किये गये। तदोपरांत अन्य मामलों की क्रमवार समीक्षा की गई।

सर्वश्री भगवती इन्डस्ट्रीज, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी को वर्ष 2008 में 11670 वर्गफीट भूमि का आवंटन किया गया था। भूमि अतिक्रमित होने के कारण इकाई को भूमि का वास्तविक दखल-कब्जा अद्यतन नहीं दिया गया है। इकाई के द्वारा भू-खण्ड परितर्वन हेतु आवेदन दिया गया है। अतः समिति द्वारा समीक्षापरांत भू-खण्ड संख्या डी0-12 से 30 फीट का रास्ता के भूमि छोड़कर शेष रकवा लगभग 18500 वर्गफीट होता है। जो आवंटित रकवा से 6,830 वर्गफीट अधिक है। चूंकि बची हुई भूमि का आकार इस प्रकार है कि किसी दूसरे को आवंटित नहीं की जा सकती है। उद्यमी के सहमति के आधार पर इन्हें पूरी भूमि 18500 वर्गफीट आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

### वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी

इस औद्योगिक प्रांगण में अतिरिक्त आवंटन के दो आवेदन क्रमांक 04 एवं क्रमांक 08 हैं, जिनपर सबसे पहले विचार किया गया।

1. सर्वश्री सदन कैंटीन, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी :- अनुपस्थित। ये पिछली बैठक में भी अनुपस्थित थे। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
2. सर्वश्री मॉ कैंटीन बिल्डिंग द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में कैंटीन के लिए रकवा 5916 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षापरान्त समिति द्वारा पाया गया कि औद्योगिक प्रांगण, बरारी में एक कैंटीन भवन पूर्व से निर्मित है। उक्त भवन को किराये पर आवंटित किया जा सकता है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कैंटीन भवन के लिये किराये की एक नीति निर्धारित करते हुए एवं यदि आवश्यक हो तो पूर्व में आदेशों का पुनरीक्षण करते हुए किराया तय कर, किराये पर एक साल के लिये आवंटन कर दिया जाए।

3. सर्वश्री पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी :- अनुपस्थित। इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
4. सर्वश्री आर. एन. उद्योग द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Regenerated Cotton के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 8000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा प्लॉट संख्या D-14(P) रकवा 5000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
5. सर्वश्री पार्श्वनाथ ऑयल मिल द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में ऑयल मिल की स्थापना हेतु रकवा 15000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा मॉगी गई उपर्युक्त रकवा की भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।
6. सर्वश्री सारिका गैस एजेन्सी द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Diesel Engine Pump set, Generator set, PVC pipe, Tube pipe, Delivery pipe of Trolley manufacturing उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 3250 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा प्लॉट संख्या NS (Near CEPT) रकवा 2000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
7. सर्वश्री अन्नया फुड प्रोडक्ट कम्पनी, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी :- अनुपस्थित। इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
8. सर्वश्री एम. भी. होटल एण्ड प्राजेक्ट प्रा० लि०, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी :- अनुपस्थित। इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
9. सर्वश्री कावेरी इन्फार्कॉन प्रा० लि०, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी :- अनुपस्थित। इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
10. सर्वश्री अंग फीड्स, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी :- अनुपस्थित। इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
11. सर्वश्री मोहन फुड्स (अतिरिक्त), वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी :- अनुपस्थित। इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
12. सर्वश्री अमित सिंह द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Flyash Bricks & Paver Blocks/Paver Tiles के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 3450 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।
13. सर्वश्री जानकी इंडस्ट्रीज द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Flyash Bricks की स्थापना हेतु रकवा 80,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।
14. सर्वश्री ओसवाल एग्रो फुड्स द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Flour Mill की स्थापना हेतु रकवा 20,000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।




प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

15. **सर्वश्री नानावती ए. एन. एम. ट्रेनिंग स्कूल** द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में A.N.M Nursing Traing School की स्थापना हेतु रकवा 20,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि इनका आवेदन वर्तमान नीति के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन योग्य Sector में नहीं आता है। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

16. **सर्वश्री लाईफ प्लस** द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Food Processing Unit, Corn flakes, Soya paneer, Fruit Juices की स्थापना हेतु रकवा 65,340 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि बरारी में याचित रकवा उपलब्ध नहीं है एवं यह औद्योगिक प्रांगण के लिए एक अच्छी परियोजना हो सकती है। अतः इनके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

17. **सर्वश्री एकलव्या इंस्टीच्यूट ऑफ हाईयर एजुकेशन**, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी :- अनुपस्थित। साथ ही यह वर्तमान नीति के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में आवंटन योग्य Sector में नहीं आता है। अतः इनके बी० एड० कॉलेज के लिए आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

18. **सर्वश्री ग्रीन गोल्ड एग्रो प्रोडक्ट** द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Cattle Feed & Poultry Feed की स्थापना हेतु रकवा 20,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

19. **सर्वश्री चंदा इन्टरप्राइजेज** द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Wax Candle & Agarbatti के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 5,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

20. **सर्वश्री गुनगुन उद्योग** द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Rice Mill (Arwa) की स्थापना हेतु रकवा 20,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

21. **सर्वश्री भवानी फुड उद्योग**, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी :- अनुपस्थित। इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

22. **सर्वश्री सान्या हर्टमैन को०** द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Cements Paints की स्थापना हेतु रकवा 10,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

23. **सर्वश्री राधा उद्योग** द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Regenerated Cotton के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 20,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।
24. **सर्वश्री भी. एन. उद्योग प्रा० लि०** द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Rice Mill की स्थापना हेतु रकवा 65,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।
25. **सर्वश्री कैलाश पापड़ उद्योग** द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में पापड़ उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 3,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।
26. **सर्वश्री श्रुति इंटरप्राइजेज** द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Packaged drinking water के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।
27. **सर्वश्री पी. के. फीड्स** द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Cattle Feed उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।
28. **सर्वश्री लाईफ प्लस फुड प्रासेसिंग यूनिट** द्वारा वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी में Soya product, Fruit Juices, fruit crush/ purees उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 32,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि कंडिका 16 में आवेदित इकाई भी इन्हीं का है। अतः दोनों आवेदक को एक मानते हुए इस आवेदन को अस्वीकृत करने निर्णय लिया गया।

**औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर**

29. **सर्वश्री मिसिका ग्रेफाईट प्रा० लि०**, औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर – अनुपस्थित। आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।
30. **सर्वश्री माँ गायत्री ट्रेडर्स** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर में Rice Mill उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 12,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा प्लॉट संख्या D-5 (2) रकवा 7,500 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। आवेदक के द्वारा अधिक भूमि की माँग की गयी। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्लॉट संख्या D-5 (2) पर उद्योग स्थापित होने के पश्चात इन्हें भूखण्ड संख्या D-5 (1) का आवंटन किया जायेगा। वर्तमान में इस भूखण्ड पर नगर परिषद् का पाईप है, उसे हटवाने का निदेश दिया गया।

31. सर्वश्री ज्योति ट्रेडर्स, औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर – अनुपस्थित। आवेदन को लम्बित रखने का निर्णय लिया गया।

**औद्योगिक क्षेत्र, सीताकुंड**

32. सर्वश्री मुंगेर फलाई एश ब्रीक द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, सीताकुंड में Fly Ash Bricks की स्थापना हेतु रकवा 12,890 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया औद्योगिक क्षेत्र सीताकुंड में आई० टी० सी० के चहारदिवारी के अंदर 44751 वर्गफीट भूमि रिक्त है। यदि आई० टी० सी० को आपत्ति ना हो तो एक तरफ से समान रकवा को चिन्हित कर दें ताकि अन्य इकाई को भूमि आवंटित किया जा सके। यदि उक्त भूमि की आवश्यकता आई० टी० सी० को ही है तो इस भूमि का आवंटन उन्हें ही आवंटन कर दिया जाए। तदनुसार इनके आवेदन को अगामी पी० सी० की बैठक में रखा जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम एवं विद्युत उपकेन्द्र के बीच की पूर्ण भूमि को पेड़-पौधा लगाने हेतु आई. टी. सी. को प्राधिकृत कर दिया जाय। आई. टी. सी. के द्वारा ही इस भूखण्ड पर लगे पेड़-पौधों के संधारण का भी कार्य किया जायेगा।

**औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा**

33. सर्वश्री कृष्णा डेयरी, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा :- अनुपस्थित। इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
34. सर्वश्री एश्वर्या बी. एड ट्रेनिंग कॉलेज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा :- अनुपस्थित। इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। यह Sector वर्तमान नीति के अनुसार आवंटन योग्य भी नहीं है।
35. सर्वश्री एबाकस रिन्यूएबल एनर्जी प्रा० लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा :- अनुपस्थित। इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
36. सर्वश्री मगध डेयरी, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा :- अनुपस्थित। इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
37. सर्वश्री श्री अष्टविनायक कैपिटल द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Disposable Glass के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा प्लॉट संख्या 6 (P) रकवा 10,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

38. सर्वश्री स्काईलार्क फीड्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Poultry Feed के उद्योग की स्थापना हेतु अतिरिक्त भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इकाई के द्वारा मांगी जाने वाली भूमि जूट पार्क के बगल में स्थित है। जूट पार्क को आवंटित भूमि का अंतरिम सीमांकन का कार्य जूट पार्क के द्वारा भूखण्ड के परिवर्तन हेतु किये गये अनुरोध के कारण सम्पन्न नहीं हुआ है। सर्वप्रथम जूट पार्क को आवंटित भूमि के सीमांकन का कार्य करा लिया जाए। अन्तरिम सीमांकन के बाद यदि भूमि बचती है तो इनके आवेदन पर आगामी पी. सी. सी. की बैठक में विचार किया जायेगा। साथ ही रास्ता वाली भूमि के आवंटन पर भी अन्तरिम सीमांकन के पश्चात निर्णय लिया जायेगा। ये यदि अपनी जमीन दो इकाई के बदले एक ही इकाई में आवंटित करना चाहते हैं तो वे इसके लिए आवेदन दे सकते हैं।





- 39. **सर्वश्री महफील पशु आहार** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Cattle Feed उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 45000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि उद्यमी को परियोजना के संबंध में जानकारी का धोर अभाव है। फलतः इनके आवेदन को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
- 40. **सर्वश्री सीड प्रोसेसिंग यूनिट** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Processed Seed के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 45000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा प्लॉट संख्या 5 पार्ट से 14420 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। उद्यमी द्वारा कहा गया कि वे 12 माह के अंदर मशीन इत्यादि अधिष्ठापित कर लेंगे। अतः समिति द्वारा निदेश दिया गया कि इकाई से 12 माह के अंदर मशीन इत्यादि अधिष्ठापित करने का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाए तदुपरान्त आवंटन पत्र निर्गत किया जाए।
- 41. **सर्वश्री शिव पोलिमर्स** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Disposable Glass & Cup के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 30,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा प्लॉट संख्या 1 (P) रकवा 9,577 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
- 42. **सर्वश्री कृष्णा इंटरप्राइजेज** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Disposable Glass & Cup के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 43,560 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इन्हीं के द्वारा क्रम संख्या 64 पर पत्नी के नाम से आवेदन दिया गया है। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे क्रम संख्या 64 में आवेदित परियोजना के लिए ही इच्छुक हैं। अतः इनके इस आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
- 43. **सर्वश्री राठी हेचरी प्राईवेट लिमिटेड** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Processing of Chicks के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 87,120 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा तत्काल प्लॉट संख्या 4 (P) रकवा 25,500 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इनके बगल की भूमि खाली होने पर इन्हें अतिरिक्त आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
- 44. **सर्वश्री एम. एन. जी फुड्स प्रा० लि०** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Rice Mill की स्थापना हेतु रकवा 2,17,800 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि विकास केन्द्र, मरंगा में 5 एकड़ भूमि एक साथ उपलब्ध नहीं रहने के कारण इन्हें अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव दिया गया। इस पर आवेदक के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बेतिया के लिए भूमि आवंटन हेतु इच्छा व्यक्त की गई। अतः आवेदक के अनुरोध पर आवेदन को औद्योगिक क्षेत्र, कुमारबाग, बेतिया स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया।
- 45. **सर्वश्री हुसैन वर्मी कम्पोस्ट उद्योग** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Vermi Compost के लिए रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा पाया गया औद्योगिक भूमि का अभाव है एवं इस प्रकार की परियोजना को

औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ावा देना उचित नहीं है। इस तरह की परियोजना औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भी (131)  
स्थापित की जा सकती है। अतः समिति द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

46. **सर्वश्री शुभ लक्ष्मी राईस मिल** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Rice Mill की स्थापना हेतु रकवा 80,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा मॉगी गई रकवा एक जगह उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

47. **सर्वश्री हिन्दुस्तान हेचरी प्रा० लि०** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Poultry के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 1,30,680 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा परियोजना का राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद से अनुमोदन के पश्चात् भू-खण्ड संख्या-1(P) रकवा 42,553 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

48. **सर्वश्री जय भारत ब्रीडिंग फार्म** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Poultry Hatchery के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 87,120 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा परियोजना का राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद से अनुमोदन तथा जूट पार्क के अंतरिम सीमांकन के पश्चात् भूमि उपलब्ध होने पर एक एकड़ भूमि आवंटन करने पर सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया गया।

49. **सर्वश्री बिहार बॉडी बिल्डरर्स** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Body Building (Truck Body) की स्थापना हेतु रकवा 21,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि वर्तमान नीति के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटित नहीं की जा सकती है। अतः समिति द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

50. **सर्वश्री माँ वैष्णों देवी ट्रैक्टर एण्ड ऑटोमोबाईल्स** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Tractors & Automobiles के उद्योग की स्थापना हेतु अतिरिक्त भूमि रकवा 6,270 वर्गफीट आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।


प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा यह पाया गया कि मॉगी गई भू-खण्ड तक पहुँच पथ नहीं है और यह भू-खण्ड आवेदक इकाई के बगल में ही है अतः समिति द्वारा 20(P) रकवा 6,270 वर्गफीट भूमि का अतिरिक्त आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

51. **सर्वश्री बी. आर. इरिगेशन सिस्टम** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में H.D.P.E Pipe के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 43,560 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त उपलब्धता के अनुसार समिति द्वारा 69(P) रकवा 6,720 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

52. **सर्वश्री सोफटेज इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में BPO/IT की स्थापना हेतु रकवा 2,30,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त उपलब्धता के अनुसार समिति द्वारा इतनी बड़ी भू-खण्ड उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इन्हें बिहटा में आई० टी० पार्क के ससमय आवेदन देने का सुझाव दिया गया।





53. **सर्वश्री लक्ष्मी फुड एण्ड एगो प्रा० लि०** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Par-Boiled Rice Mill की स्थापना हेतु रकवा 1,52,410 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भू-खण्ड संख्या-82, 83, एवं 84 में दक्षिण की तरफ से रकवा 87,120 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
54. **सर्वश्री पी. पी. एल. इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Vehicles Seat Cover की स्थापना हेतु रकवा 15,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भू-खण्ड संख्या-95 (P) रकवा 9,810 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
55. **सर्वश्री शक्ति हेचरी एण्ड पॉलेट्री** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Hatcheries, Poultry & Poultry Feed की स्थापना हेतु रकवा 87,120 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा मॉगी गई रकवा एक जगह उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।
56. **सर्वश्री एस. के. रेक्सीन इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में School Bag, Vehicles Seat, All type of Bags (Rexime type bags) के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 5,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि इस तरह का छोटा भू-खंड उपलब्ध नहीं रहने के कारण इनके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।
57. **सर्वश्री इंडिका ओवरसीज प्रा० लि०** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में राईस मिल के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 35,000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा इन्हें पूर्व से आवंटित भूमि के पूरब तरफ से 21,780 वर्गफीट भूमि अतिरिक्त आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना के विभिन्न चरणों से संबंधित बार चार्ट तथा बार चार्ट के अनुरूप परियोजना के अधिष्ठापन से संबंधित शपथ पत्र देने के पश्चात् ही भूमि आवंटन पत्र निर्गत किया जाय तथा इन्हें दखल-कब्जा प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर स्थापना कार्य प्रारंभ कर देने के संबंध में भी शपथ-पत्र देने का निदेश दिया गया।
58. **सर्वश्री मोहन फ्लावर मिल** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Flour Mill की स्थापना हेतु रकवा 20,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की Viability नहीं होने के कारण आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
59. **सर्वश्री शिवा भिक्कर** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Concrete Bowl Mixing Machine की स्थापना हेतु रकवा 11,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा परियोजना के Viable नहीं रहने के कारण तथा आवेदक को जानकारी के अभाव के कारण, उनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
60. **सर्वश्री अजय राईस मिल** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Rice, Chura, Murhi, Masala Mill की स्थापना हेतु रकवा 21,780 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।



प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा परियोजना **Viabile** नहीं रहने तथा उद्यमी को जानकारी के आभाव के कारण आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

- 61. **सर्वश्री रूपम मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग प्रा० लि०** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में **Cattle Feed & Poultry Feed** की स्थापना हेतु रकवा 87,120 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भू-खण्ड संख्या 82, 83 एवं 84 के 5.11 एकड़ भूमि में से सर्वश्री लक्ष्मी फुड एग्री प्रा० लि० का 2.00 एकड़ तथा सर्वश्री आनवी फुड एण्ड विभरेज प्रा० लि० के 1.50 एकड़ भूमि देने के पश्चात शेष बचे भूमि लगभग 1.50 एकड़ उत्तर की तरफ से आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

- 62. **सर्वश्री स्वास्तिक राईस एण्ड चुड़ा मिल** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में **Rice Mill & chura Mill** की स्थापना हेतु रकवा 65,340 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा मॉगी गई रकवा एक जगह उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

- 63. **सर्वश्री बालाजी राईस मिल** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में **Rice Mill** की स्थापना हेतु रकवा 40,000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भू-खण्ड संख्या-53(P) से रकवा 20,000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भू-खण्ड का दखल-कब्जा इस प्रकार से दिया जाय कि सड़क की तरफ से इकाई को 15 फीट चौड़ी भूमि मिले एवं शेष भूमि L आकार में पीछे की तरफ से हो।

- 64. **सर्वश्री अजय पोलिमर्स** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में **Plastic Scrap Dana** की स्थापना हेतु रकवा 15,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा 53 (P) से शेष रकवा 10,900 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

- 65. **सर्वश्री क्लासिक होटल** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में **Hotel-Cum-Restaurant** की स्थापना हेतु रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि नये नियम के तहत होटल के लिए भूमि का आवंटन नहीं किया जाना है। अतः समिति द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

- 66. **सर्वश्री प्रमिला इंटरप्राइजेज** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में **packaged Drinking Water** की स्थापना हेतु रकवा 20,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा इस परियोजना हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को अगले पी. सी. सी. में रखने का निर्णय लिया गया।

- 67. **सर्वश्री श्री मशाला उद्योग** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में **Spices** के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 7500 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा यह पाया गया कि औद्योगिक विकास केन्द्र मरंगा में इस परियोजना हेतु

भूमि उपलब्ध नहीं है। आवेदक के द्वारा पूर्णिया सिटी में भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया गया। अतः समिति द्वारा औद्योगिक प्रॉगण पूर्णिया सिटी में शेड संख्या C-7(2970 वर्गफीट) आवंटन करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि शेड का किराया निदेशक वर्ष की 42वीं बैठक में लिए निर्णय के अनुसार लिया जाय।

68. **सर्वश्री सिस्टम एण्ड कंट्रोल** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में अतिरिक्त भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। इन्हें पूर्व में औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में भूमि आवंटित है। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पहले जाँच कर ली जाय कि इकाई कार्यरत है या नहीं। अगर इकाई कार्यरत है तथा नाला निकालने के बाद यदि भूमि बचती है तो आवेदक को प्लॉट संख्या-53(p) में भूमि आवंटन कर दिया जाय।

69. **सर्वश्री सीता एग्रो फुड्स इंडिया प्रा० लि०** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Rice Mill की स्थापना हेतु रकवा 92,150 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा आवेदक को परियोजना की जानकारी नहीं रहने के कारण आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

70. **सर्वश्री बी. आर. एल. पी. एस.** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Traing/ Production की स्थापना हेतु भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त आवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा तत्काल आवेदन को लम्बित रखने का निर्णय लिया गया।

71. **सर्वश्री आनवी फुड एण्ड विमरजेज प्रा० लि०** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Modern rice Mill की स्थापना हेतु रकवा 87,120 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भू-खण्ड संख्या-82, 83 एवं 84 में सर्वश्री लक्ष्मी फुड एग्रो प्रा० लि० के उत्तर में रकवा-65340 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

72. **सर्वश्री सी. जी. फुड्स इंडिया प्रा० लि०** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Noodles & Snacks की स्थापना हेतु भूमि रकवा 2,00,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

यह एक महत्त्वपूर्ण परियोजना है। इस प्रख्यात group के द्वारा यहाँ पुरे Eastern india एवं North East के लिए Hub बनाने का प्रस्ताव है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया गया कि जूट पार्क की भूमि के अंतरिम सीमांकन के पश्चात् उपलब्ध भूमि में से 3.00 एकड़ भूमि का आवंटन किया जाय।

73. **सर्वश्री बिहार स्टेट पोल्थूशन कंट्रोल बोर्ड** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Office-Cum-Laborataries की स्थापना हेतु भूमि रकवा 20,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त आवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भू-खण्ड संख्या-29(p) प्रशासनिक परिसर में से रकवा-20,000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

74. **सर्वश्री बासुदेव ब्रीक्स** द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Fly Ash Bricks की स्थापना हेतु रकवा 43,560 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा मॉगी गई रकवा एक जगह उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।



10/13



75. सर्वश्री मिलकी आईस फैक्ट्री द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Ice Blck/Slab की स्थापना हेतु रकवा 20,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा परियोजना Viable नहीं रहने के कारण आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
76. सर्वश्री एस. एम. मेटल द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Aluminium utensil की स्थापना हेतु रकवा 10,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भू-खण्ड संख्या- 1(P) रकवा 5,000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
77. सर्वश्री एस. के. इलेक्ट्रॉनिक द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Stabilizer की स्थापना हेतु रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान में भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः इनके आवेदन को लम्बित रखने का निर्णय लिया गया।
78. सर्वश्री जानकी बालभद्र राईस मिल द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा में Rice Mill की स्थापना हेतु रकवा 10,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान में भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः इनके आवेदन को लम्बित रखने का निर्णय लिया गया।

#### औद्योगिक प्रागंण, पूर्णिया सिटी

79. सर्वश्री ओम साई ब्रीक इंडस्ट्रीज, औद्योगिक प्रागंण, पूर्णिया सिटी :- अनुपस्थित। इनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया।
80. सर्वश्री रामकृष्णा विनीयर इंडस्ट्रीज द्वारा औद्योगिक प्रागंण, पूर्णिया सिटी में Manufacturing of Plywood, pasting of Veneer & Black Board की स्थापना हेतु रकवा 65,340 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भू-खण्ड संख्या-8 (P) से 35,000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
81. सर्वश्री कृष्णा फुड प्रोडक्ट्स द्वारा औद्योगिक प्रागंण, पूर्णिया सिटी में Fryums की स्थापना हेतु रकवा 6,500 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा B-2 शेड (रकवा-3,500 वर्गफीट) आवंटन करने का निर्णय लिया गया। शेड में रखे समानों का निलामी करने का निदेश दिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि शेड का किराया निदेशक पर्सद की 42वीं बैठक में लिए निर्णय के अनुसार लिया जाय।
82. सर्वश्री तेजस्व फुड प्रोडक्ट द्वारा औद्योगिक प्रागंण, पूर्णिया सिटी में Atta, Sattu & Besan की स्थापना हेतु रकवा 15,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा मॉगी गई रकवा एक जगह उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लम्बित रखने का निर्णय लिया गया।





126

औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज

83. सर्वश्री सेवीगौर पावर रिसोसेस प्रा० लि०, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज :- अनुपस्थित। इनके द्वारा तीन एकड़ से ज्यादा भूमि की मांग की गई है, जो न तो उपलब्ध है एवं न ही निकट भविष्य में उपलब्धता की संभावना है। अतः आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
84. सर्वश्री मुस्कान फूड प्रोडक्ट द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज में Sattu, Besan, Masala, Kurkure, Salted Snacks & Potato Weffers, Mixture की स्थापना हेतु रकवा 20,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भू-खण्ड संख्या- 9 (P) से रकवा 10,000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

85. सर्वश्री मुस्कान मशाला प्रा० लि० द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज में Spices Manufacturing की स्थापना हेतु रकवा 25,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा मांगी गई रकवा उपलब्ध नहीं रहने एवं निकट भविष्य में उपलब्धता की संभावना नहीं रहने के कारण इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

औद्योगिक प्रांगण, कटिहार

86. सर्वश्री विनसम इंटरनेशनल लि० द्वारा औद्योगिक प्रांगण, कटिहार में Raw Jute Procurement & Processing Centre की स्थापना हेतु रकवा 1,29,600 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा इतने बड़े भू-खंड की उपलब्ध नहीं रहने के कारण इनके आवेदन को लम्बित रखने का निर्णय लिया गया।

87. सर्वश्री शिव शक्ति राईस मिल द्वारा औद्योगिक प्रांगण, कटिहार में Rice Mill की स्थापना हेतु रकवा 5,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा 21 (P) रकवा 5,000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

88. सर्वश्री माँ बसंती इंजीनियरिंग द्वारा औद्योगिक प्रांगण, कटिहार में Agriculture Impliments की स्थापना हेतु रकवा 15,000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भू-खण्ड संख्या-24 (P) से रकवा 8,500 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

89. सर्वश्री फॉलकॉन बर्टर प्रा० लि०, औद्योगिक प्रांगण, कटिहार :- अनुपस्थित। इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

90. सर्वश्री शिवा मिक्चर द्वारा औद्योगिक प्रांगण, कटिहार में Concrete Bowl mixing Machine की स्थापना हेतु रकवा 7,500 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा भू-खण्ड 21 (P) से शेष रकवा 11,500 वर्गफीट भूमि इनकी सहमति से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। चूंकि इनके द्वारा याचित 7500 वर्गफीट देने के बाद शेष भूमि का कोई उपयोग नहीं हो पाता है।





91. सर्वश्री महाकाल राईस एण्ड मशाला उद्योग द्वारा औद्योगिक प्रांगण, कटिहार में Rice & Masala की स्थापना हेतु रकवा 43,560 वर्गफीट भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा मॉगी गई रकवा उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।


#### घटनोत्तर स्वीकृति

सर्वश्री न्यू, पाटलपुत्रा गैस मैनुफैक्चर्स, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी को 1667.9 वर्गफीट भूमि के अतिरिक्त आवंटन को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।


सर्वश्री जुगत बैकर्स, औद्योगिक प्रांगण, कटिहार को 436 वर्गफीट भूमि के अतिरिक्त आवंटन को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

सर्वश्री एन.के. इन्डस्ट्रीज, औद्योगिक विकास केन्द्र, मंरगा को आवंटित 17424 वर्गफीट भूमि विवादित रहने के कारण भू-खण्ड परिवर्तन करते हुये भू-खण्ड संख्या-18(P) से रकवा-23560 वर्गफीट भूमि के आवंटन को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।


समिति द्वारा यह सामान्य निर्णय लिया गया कि जो छोटे उद्यमी 5000 वर्गफीट तक के रकवे के लिए आवेदन देते हैं एवं जिन्हे भूमि की अनउपलब्धता के कारण अस्वीकृत या लंबित रखा जाता है, उनकी सूची क्षेत्रवार अलग से संबंधित कार्यकारी निदेशक संधारित करेगे एवं 42 वीं निदेशक पर्वद में लिए गये निर्णयानुसार जब भी बियाडा Flatted Factory बनाती है तब इन्हें First Allotment का Offer दिया जाए।

  
भोगेंद्र लाल  
कार्यकारी निदेशक  
बियाडा, पटना।

ज्ञापांक:- 2799/2/171/PCC/Dev/BIADA/2012-13  
प्रतिलिपि :- सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

  
दीपक कुमार सिंह  
प्रबंध निदेशक  
बियाडा, पटना।

दिनांक:- 03/05/2013

  
कार्यकारी निदेशक